



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक-03.02.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 311/24 धारा 109/351(2)/3(5)
बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.11.2024 को थाना दोघट पर वादी हरेन्द्र पुत्र महिपाल निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.वंश पुत्र मधु 2.युवराज पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत व 01 अज्ञात के द्वारा वादी के घर की तरफ फायरिंग की गयी, जिसमें वादी की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गयी तथा अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 311/2024 धारा 109/351(2) BNS 2023 पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 311/24 धारा 109/351(2)/3(5) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा दिनांक 13-11-2024 को अभियुक्त अर्जुन उर्फ बिन्टा को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

युवराज पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री तेजवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 03.02.2025

थाना दोघट पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक अवैध पौनिया के साथ वायरल फोटो के आरोपी को मय पौनिया के किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का पौनिया के साथ फोटो वायरल हुआ था । जिसमें थाना दोघट पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया एवं व्यक्ति को चिन्हित किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर 01 अवैध पौनिया के साथ वायरल हुये फोटो के आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है. जिसके कब्जे से 01 अवैध पौनिया बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अनुरोध- बागपत पुलिस द्वारा अनुरोध किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे एवं लाईसेंसी हथियारो का प्रदर्शन ना किया जाये, यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध दडात्मक कायवाहा का जायगा ।



गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता -

नन्दलाल उर्फ नन्दू पुत्र पवन निवासी पट्टी तिरोसिया कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपता।

बरामदगी की विवरण—

- एक अवैध पौनिया .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपता।
- 2-उ0नि0 आदित्य कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत
- 4.का0 1055 सुचेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 03.02.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 33/25 धारा 64(1)/89 BNS में
वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 33/2025 धारा 64(1)/89 BNS में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

शाहनवाज पुत्र जाकिर अन्सारी निवासी ग्राम दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत

2-है0का0 87 राकेश त्यागी थाना बिनौली जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 03.02.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

कुलदीप पुत्र रूद कुमार निवासी अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-है0का0 456 मनोज शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

